

कार्यालय वन वृत्त, शिवपुरी, मध्यप्रदेश

वन विद्यालय शिवपुरी प्रांगण, छत्री रोड, शिवपुरी (म.प्र.)
दूरभाष : 07492-223392, ई-मेल : ccf.svp@mp.gov.in

क्रमांक/डी.एम./2022/3018

शिवपुरी, दिनांक : 23/09/2022

प्रति,

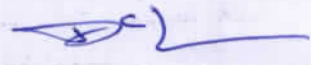
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (भू-प्रबंध)
सतपुड़ा भवन भोपाल म0प्र0।

विषय :- ए.डी.बी.-6 योजना अन्तर्गत आरोन-राघौगढ़ वाया विदौरिया मार्ग उन्नयन हेतु
प्रभावित वनभूमि 22.729 हेक्टेयर व्यपवर्तन हेतु उपयोग पर देने बाबत।
(PROPOSAL NO. FP/MP/ROAD/139257/2021)
संदर्भ :- वनमंडल अधिकारी, वनमण्डल गुना का पत्र क्रमांक/डी.एम./2022/9465
दिनांक 21/09/2022

—00—

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल गुना के सन्दर्भित पत्र से, वनमण्डल गुना के अन्तर्गत ए.डी.बी.-6 योजना अन्तर्गत आरोन-राघौगढ़ वाया विदौरिया मार्ग उन्नयन में प्रभावित 22.729 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रकरण क्रमांक FP/MP/ROAD/139257/2021 हार्डकॉपी एवं ऑनलाइन निर्धारित प्रारूप भाग-2 पर इस कार्यालय में सहमति हेतु प्रेषित किया गया है जिसमें इस कार्यालय से भाग-3 की पूर्ति कर आवश्यक कार्यवाही हेतु ऑनलाइन एवं हार्डकॉपी दो प्रतियों में संलग्न सादर प्रेषित है।

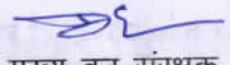
संलग्न:- उपरोक्तानुसार दो प्रतियां।


(डी. के. पालीवाल)
मुख्य वन संरक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी

पृ. क्रमांक/डी.एम./2022/3019
प्रतिलिपि:-

शिवपुरी, दिनांक : 23/09/2022

वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल गुना की ओर सन्दर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।


मुख्य वन संरक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी

भाग-III
(सम्बन्धित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

(FP/MP/ROAD/139257/2021)

1	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है तथा वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल गुना द्वारा दिनांक 12/09/2022 को किये गये स्थल निरीक्षण से सहमत हूँ।
2	क्या संबंधित वनसंरक्षक उप वनसंरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत हूँ।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	प्रस्ताव में आवेदित क्षेत्र न्यूनतम होने से तथा अन्य कोई विकल्प न होने के कारण वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल गुना द्वारा स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा अनुसार सहमति प्रदान की जाती है।


 (जी. के. पालीवाल)
 मुख्य वनसंरक्षक
 शिवपुरी वृत्त शिवपुरी